बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु दिये जाने वाले ऋण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन

ज्योति डावर, डॉ. सुमन रोहिला

पीएच.डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर म.प्र. भारत

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर म.प्र. भारत

सारांश :– *ग्रामीण लोगों को खासतौर पर जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे ग्रामीण बेरोजगार लोगों स्वरोजगार के रूप में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि स्थापित करने में सहायता मिलती हैं तथा ग्रामीण लोगो के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हैं। प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य बड़वानी जिले का चयन किया गया है। विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 3489 अनुसूचित जनजातिय लोगों में से 10 प्रतिशत (कुल 350) उत्तरदाताओं को दैव निदर्शन विधि के द्वारा रैण्डम नम्बर टेबल का प्रयोग कर समानुपातिक आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् जनजातिय लोग अपना रोजगार आरम्भ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्धण कर रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में 45 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये या इससे कम का ऋण रोजगार के लिए आंवटित हुआ है वहीं 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित हुआ है। कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाता ऐसे पाये जो कि बैंक से लिए हुए ऋण रोजगार प्रारम्भ होने के पश्चात् किस्तों के रूप में बैंकों में जमा कर रहे हैं।*

प्रस्तावना :– भारत एक कृषि प्रधान देश जहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। मध्यप्रदेश का बड़वानी जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा कृषि की निम्न उत्पादकता तथा भूमि की कमी के कारण वे अपना विकास नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्वंय के व्यवसाय हेतु पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती जिसके कारण वे स्वंय का व्यवसाय स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं। आज भी देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास में व्याप्त बाधाएँ तथा रोजगारोन्मुखी विकास संबंधी समस्याएँ, पिछड़ापन, परिवार की आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। उन्हें रोजगार हेतु ऋण सरलता से प्राप्त नहीं हो पाता हैं। देश में वित्तीय संस्थाऐं भी अनुसूचित जनजाति विकास में इतनी रुचि नहीं दिखा पा रही हैं। जिससे उनके विकास में वित्त का सीधा संबंध जुड़ पाने में असम्भव सा प्रतीत होता है। प्रायः वित्तीय संस्थाएँ अनुसूचित जनजाति विकास में उदासीन रही हैं। अनुसूचित जनजाति लोगों को समय पर ऋण तक नहीं मिल पाता है और समय पर मिल भी जाता है तो ऋण लेने के लिए किसी मध्यस्थ की गारंटी या जिम्मेदारी की जरूरत पड़ती हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की अनेक समस्याएँ विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं।

जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे जनजातिय बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार के रूप में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि स्थापित करने में सहायता मिलती है जिसका जनजातिय लोगों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हैं। विदित हो

कि जनजातिय लोग बेरोजगारी के कारण ये लोग आपसी गुटबंदी और विवादों से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि गाँवों में निवास करने वाली लगभग 66 प्रतिशत श्रम शक्ति का हम रचनात्मक उपयोग करें। इस अपार मानव संसाधन को हम यदि ग्रामीण स्थानीय संसाधनों में परिवर्तित कर दें तो निश्चित रूप से हमें ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन :– जनजातिय लोगों के लिए रोजगारपरक कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य किये गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन निम्नलिखित हैं, **सुशील चन्द्रा एवं राजेश कुमार (2006)** ने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्रिय मंत्रालय एवं राज्य सरकार की विशेष उपादान योजनाओं तथा राज्यों में अ. ज.जा. के लिए विशेष उपादन योजनाओं को विशेष सहायता प्रदान करती हैं व राज्यों में अ.ज.जा. विकास निगम भी सहायता प्रदान करता है। **गणेश कावड़िया (2007)** इन्होंने ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों के परम्परागत तरीको से हटकर उन्हें आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण करने पर महत्व दिया। **पामेचा सुमन (2009 नवम्बर)** ने बताया कि आजकाल गांवों में ही बैंक खुलने में ऋण देने वाली संस्थाओं का विस्तार हुआ है। ग्रामीण बैंक लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु ऋण प्रदान करती हैं। **मीनू निधिया (2011)** ग्रामीण बैंक सामान्य बैकिंग कारोबार करते हैं तथा इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करना तथा उन्हें कुटीर उद्योग हेतु ऋण प्रदान करना है। **गौरे अर्जुन, डावर भूपेन्द्र सिंह (2009)** प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को अपनी आजीविका चलाने के लिए उपर्युक्त रोजगार प्राप्त हो रहा है कि नहीं तथा इसमें जनकल्याणकारी योजनाएँ कहाँ तक उपयोगी हैं। **संदीप भाटिया कौर (2009)** ने बताया कि ग्रमीण अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन में विविधीकरण, ग्रमीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए अनिवार्य है। **इब्राहिम विनोज (2008)** ने अपने अध्ययन में कहा कि भारत में उत्पादन संरचना में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। परन्तु इसके विपरीत रोजगार में जरूर बदलाव हुआ है। **शास्त्री (2011)** ने आदिलाबाद जिले के विकासखण्डों में आदिवासियों की आय, व्यय, एवं रोजगार प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। **प्रताप एवं बोस (2010)** ने तकनीकों का आदिवासी विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को विश्लेषित किया तथा पाया कि आदिवासी विकास केन्द्रों की स्थापना एवं पहचान के माध्यम से यह विकास सम्भव है। **राममणि (2006)** ने आदिवासी एवं गैर–आदिवासी विकास में जो अन्तर है, उसके लिये संस्थागत ऋण का गलत प्रयोग उत्तरदायी है। **उदय सिंह राजपूत (2008)** ने बताया कि, गरीबी, बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहे आदिवासी समुदाय के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक सहारा बनकर उभरी है।

अध्ययन की आवश्यकता :– अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की अनेक समस्याएँ विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु ऋण संबंधी समस्याओं व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाकर उचित समाधान प्रस्तुत करना एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता की तथा वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य :– बैंक द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु दिये जाने वाले ऋण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

अध्ययन का समग्र :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बड़वानी जिले में विभिन्न बैकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त लोगों को अध्ययन का समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बड़वानी जिले में विभिन्न बैकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित उत्तरदाता को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि :– प्रस्तुत तालिका में निदर्शन में सम्मितिल की जाने वाली जनसंख्या को दर्शाया गया है।

निदर्शन का आकार :– आदिवासी वित्त्त विकास निगम से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वारोजगार आरम्भ करने हेतु विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया गया। कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को निदर्शन के आकार के रूप में सम्मिलित किया गया है।

तालिका क्र. 1.1

स्वारोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजतिय लोंगों का विवरण

तहसील	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल योग
अंजड़	72	78	132	154	**436**
बड़वानी	84	98	105	123	**410**
निवाली	78	78	87	106	**349**
पानसेमल	65	82	108	112	**367**
पटी	66	73	99	123	**361**
राजपुरा	76	90	105	148	**419**
सेंधवा	83	95	121	136	**435**
ठीकरी	69	82	99	120	**370**
बरला	56	72	79	135	**342**
कुल योग	**649**	**748**	**935**	**1157**	**3489**

स्त्रोत– आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.।

उत्तरदाताओं का चयन :– उत्तरदाताओं के चयन हेतु स्वारोजगार आरम्भ करने के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 3489 अनुसूचित जनजातिय लोगों में से 10 प्रतिशत (कुल 350) उत्तरदाताओं को दैव निदर्शन विधि के द्वारा रैण्डम नम्बर टेबल का प्रयोग कर समानुपातिक आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जिसका विवरण निम्न तलिका में प्रस्तुत किया है।

तालिका क्र. 1.2

तहसील वर एवं वर्ष वार चयनित उत्तरदाताओं का विववरण

तहसील	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल योग
अंजड़	7	8	13	15	**43**
बड़वानी	8	9	11	12	**40**
निवाली	8	8	9	11	**36**
पानसेमल	7	8	11	11	**37**
पटी	7	7	10	12	**36**
राजपुरा	8	9	11	14	**42**
सेंधवा	8	10	12	14	**44**
ठीकरी	7	8	10	12	**37**
बरला	6	7	8	14	**35**
कुल योग	**66**	**74**	**95**	**115**	**350**

स्त्रोत– आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.

आंकड़े एकत्रित करने के स्त्रोत :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

प्राथमिक आंकड़ें :– प्राथमिक आंकडों का सग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समुह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये।

द्वितीयक आंकडें :– द्वितीय स्त्रोत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संस्मरण, शासकीय आँकड़े अनुसंधान प्रतिवेदन, समाचार पत्र, पत्रिका, शोध पत्रिका, संबंधित सरकारी विभागों की वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन्टरनेट आदि से एकत्रित किये गये।

विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि :– आंकड़ों का संकलन के पश्चात् संग्रहित आंकड़ों की छंटनी करके, कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया गया तथा एस. पी. एस. एस. पैकेज का प्रयोग करते हुऐ सारणीयन के पश्चात् विश्लेषण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये हैं।

तालिका 1.3

उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए ऋण प्राप्त होने वाली योजना का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिषत
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	182	52.0
2	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	6	1.7
3	मुख्यमंत्री रोजगार कल्याण कार्यक्रम	21	6.0
4	प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	54	15.4
5	मुख्यमंत्री स्वरोजगार कल्याण कार्यक्रम	10	2.9
6	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम	77	22.0
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के अर्न्तगत ऋण प्राप्त हुआ है जबकि सबसे कम 1.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्राप्त हुआ है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको मुख्यमंत्री रोजगार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्राप्त हुआ वहीं 15.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये पाये जिनको प्रधानमंत्री रोजगार श्रजन कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। 2.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण की प्राप्ति हुयी है एवं 22 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार प्रदान किया गया है।

तालिका 1.4

उत्तरदाताओं कां बैंक से रोजगार के लिए प्राप्त ऋण की आंवटित राशि का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 लाख रुपये से कम	46	13.1
2	1 से 2 लाख रुपये	114	32.6
3	2 से 3 लाख रुपये	39	11.1
4	3 से 4 लाख रुपये	50	14.3
5	4 से 5 लाख रुपये	68	19.4
6	5 लाख रुपये या इससे अधिक	33	9.4
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल 350 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 32.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार आरम्भ करने के लिए 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण आंवटित किया गया जबकि सबे कम 9.4 प्रतिशत उत्तरदताओं को रोजगार आरम्भ करने के लिए 5 लाख रुपये या इससे अधिक रुपये तक का ऋण आंवटित किया गया। 1 लाख रुपये या इससे कम रुपये तक का ऋण आंवटित किये जाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 13.1 पाया गया जबकि 11.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित किया गया। ऐसे उत्तरदाता जिनको 3 लाख से 4 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित किया गया उनका प्रतिशत 14.3 पाया गया वहीं 4 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने वाले उत्तरदाता 19.4 प्रतिशत पाये गये।

तालिका 1.5

उत्तरदाताओं को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर अनुदान के प्रतिशत का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20 प्रतिशत	26	7.4
2	25 प्रतिशत	40	11.4
3	30 प्रतिशत	284	81.2
	कुल योग	N=350	100.0

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कुल उत्तरदाताओं में से 81.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए प्राप्त होने वाले ऋण पर 30 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त हुआ जबकि सबसे कम 7.4 प्रतिशत उत्त्रदाताओं को रोजगार के लिए प्राप्त होने वाले ऋण पर 20 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐसे उत्तरदाता जिनको रोजगार के लिए प्राप्त होने वाले ऋण पर 25 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त हुआ 11.4 प्रतिशत पाये गये। अतः स्पष्ट होता है कि 81.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए प्राप्त होने वाले ऋण पर 30 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त हुआ जो कि सर्वाधिक हैं।

तालिका 1.6

उत्तरदाताओं को बैंकों द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण पर ब्याज दर का विवरण

क्र.	ब्याज दर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	5 प्रतिशत	308	88.0
2	7 प्रतिशत	21	6.0
3	9 प्रतिशत	20	5.7
4	11 प्रतिशत	4	0.3
	कुल योग	N=350	100.0

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बैंकों द्वारा 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया गया जबकि सबसे कम 0.3 प्रतिशत

उत्तरदाताओं को बैंकों द्वारा 15 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण आंवटित किया गया। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया गया वहीं 5.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 11 प्रतिशत की ब्याज दर से रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया गया।

तलिका 1.7

उत्तरदाताओं द्वारा आरम्भ किये गये रोजगार का प्रकार का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	भवन निर्माण सामिग्री	39	11.1
2	बिजली एवं लौह उपकरणों से सम्बन्धित	51	14.6
3	सिलाई दुकान	28	8.0
4	यातायात एवं मोटर वाहन	40	11.4
5	खाद्य सम्बन्धित उद्योग	70	20.0
6	कृषि कार्य से सम्बन्धित उपकरण	30	8.6
7	वस्त्र उद्योग	23	6.6
8	किराना व्यवासाय	37	10.6
9	सौन्दर्य से सम्बन्धित व्यवसाय	32	9.1
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपयुक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् खाद्य सम्बन्धित उद्योग जैसे आटा चक्की आदि आरम्भ किया जबकि सबसे कम 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् वस्त्र उद्योग आरम्भ किया। 11.1 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् भवन निर्माण सामिग्री से सम्बन्धित उद्योग आरम्भ किया वहीं 14.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् बिजली एवं लौह उपकरणों से सम्बनिघत उद्योग आरम्भ किया। सिलाई की दुकान आरम्भ करने वाले उत्तरदाता 8 प्रतिशत नाये गये जबकि 11.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये

जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् यातायात एवं मोटर वाहन से सम्बन्धित रोजगार आरम्भ किया। कृषि कार्य से सम्बन्धित उपकरणों का उद्योग आरम्भ करने वाले उत्तरदाता 8.6 प्रतिशत पाये गये जबकि 10.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् किराना की दुकान आरम्भ की। 9.1 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् सौन्दर्य से सम्बन्धित रोजगार जैसे ब्युटी पार्लर आदि का कार्य आरम्भ किया।

तालिका 1.8

अपनाये जाने वाला रोजगार से पर्याप्त आय प्राप्त होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	303	86.6
2	नहीं	47	13.4
	कुल योग	N=350	100.0
यदि हाँ तो प्राप्त आय का विवरण			
क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	3000 से कम	91	30.1
2	3000 रू से 6000 रू तक	124	40.9
3	6000 रू से 9000 रू तक	55	18.1
4	9000 रू से अधिक	33	10.9
	कुल योग	N=303	100.0

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 86.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से पर्याप्त आय प्राप्त होती है जबकि 13.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है।

कुल 350 उत्तरदाताओं में से 303 उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से पर्याप्त आय प्राप्त होती है तो अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं से प्राप्त होने वाली आया की जानकारी प्राप्त की गयी। कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 40.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से 3000 रुपये से लेकर 6000 रुपये के मध्य आय प्राप्त होती है जबकि सबसे कम 10.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से 9000 रुपये या इससे अधिक आय प्राप्त होती है। 30.1 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से 3000 रुपये या इससे कम आय प्राप्त होती है वहीं 18.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बातया कि उनको अपनाये जाने वाला रोजगार से 6000 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक की आय प्राप्त होती है।

तालिका 1.9

बैंक द्वारा प्राप्त कुल ऋण में से बकाया ऋण का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पूरा	27	7.7
2	आधा	275	78.6
3	एक तिहाई	48	13.7
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल 350 उत्तरदाताओं में ये सर्वाधिक 78.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बेंक द्वारा प्राप्त ऋण आध बकाया है जबकि सबसे कम 7.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको पूरा बैंक का ऋण गकाया है। 13.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का बैंक से प्राप्त एक तिहाई ऋण का बकाया है। अतः स्पष्ट है कि 78.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं बैंक से प्राप्त ऋण का बकाया आधा है जो कि सर्वाधिक है।

तालिका 1.10

उत्तरदाताओं द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण की आदायगी का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मासिक	102	29.1
2	त्रैमासिक	136	38.9
3	अर्द्धवार्षिक	51	14.6
4	वार्षिक	39	11.1
5	रुपये उपलब्ध होने पर	22	6.3
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 38.9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि व त्रैमासिक ऋण अदा करते हैं जबकि सबसे कम 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि वे रुपये उपलब्ध होने पर बैंक से लिया हुआ ऋण अदा करते हैं। 29.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मासिक किस्त में बैंक से लिया हुआ ऋण अदा करते हैं वहीं 14.6 प्रतिशत उत्तरदाता अर्द्धवार्षिक रूप में ऋण अदा करते हैं। ऐसे उत्तरदाता जो वार्षिक ऋण अदा करते हैं उनका प्रतिशत 11.1 पाया गया।

तालिका 1.11

बैंक से ऋण प्राप्त कर आरम्भ किये गये रोजगार का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार आया है	90	25.7
2	लोगों से ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ता	89	25.4
3	रोजगार मिलने से पैसे की समस्या खत्म हो गयी	35	10.0
4	आर्थिक कार्य करने में आसानी होती है	40	11.4

5	आय में वृद्धि हुयी	70	20.0
6	कोई प्रभाव नहीं पड़ा	26	7.4
	कुल योग	**N=350**	**100.0**

स्त्रोत : – प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 25.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार आया है इसलिए वे अपनी आय में अधिक वृद्धि कर रहे हैं जबकि सबसे कम 7.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से उनकी अर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 25.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी प्रदान की कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से पर्याप्त आय प्राप्त होने पर लोगों से ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ता वहीं 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से रोजगार मिलने से पैसे की समस्या खत्म हो गयी। 11.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से आर्थिक कार्य करने में आसानी होती है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् अपनाये गये व्यवसाय से उनकी आय में वृद्धि हुयी।

निष्कर्ष :– उपर्युक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् जनजातिय लोग अपना रोजगार आरम्भ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्धण कर रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में 45 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये या इससे कम का ऋण रोजगार के लिए आंवटित हुआ है वहीं 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित हुआ है। कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाता ऐसे पाये जो कि बैंक से लिए हुए ऋण रोजगार प्रारम्भ होने के पश्चात् किस्तों के रूप में बैंकों में जमा कर रहे हैं।

सन्दर्भ

1. आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.।
2. जिला सांख्यकीय पुस्तिका, जिला बडवानी, 2018।
3. पाण्डेय, पी. एन. (2000) ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. मध्यप्रदेश के प्रमुख आंकड़े 2011, आर्थिक एवं साख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश।
5. शर्मा, अनीता (1994), ''रूरल एमप्लोयमेंट प्रोग्राम इन इण्डिया'', मोहित पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
6. गैरे अर्जुन एवं डावर भूपेन्द्र (2009) ग्रमीण लोगों में रोजगार की स्थिति'', जर्नल ऑफ मध्यप्रदेश इक्नोमिक्स एसोशिएशन।
7. Sastry, VNVK, "Cultural Contact A Case Study of the Social Dynamics of Populations Influx into Tribal Area of Utnoor Taluk of Adilabad District", Unpublished Ph.D., Thesis, Andhra University, Waltair, 2011.
8. Pratap and Bose, "A study of Andhra Pradesh Scheduled Tribes". Tribal Cultural research and Training Institute. Hyderabad, 2010.
9. Dubey, Amaresh, "Poverty and Under – Nutrition Among Scheduled Tribes in India. A Disaggregated Analysis", Quantitative Approaches to Public Policy Conference in Honor of Professor T.Krishna Kumar, Fourth Annual International Conference on Public and Management, Indian. 2009.
10. Rama Mani V.S., "Tribal Economy – Problems and prospects", Ph.D. Thesis, Andhra University, Waltair, 2006.
11. Khare P.K., "Social change of Indian Tribes", Deep and Deep publications, New Delhi, 1991.
12. राजपूत उदय सिंह, ''आदिवासियों का सहारा'', राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, वर्ष 2008, पृष्ठ 28–29।